

(2024) 5 एस.सी.आर. 537: 2024 आई.एन.एस.सी.342

अनिरुद्ध खानवलकर
बनाम
शर्मिला दास एवं अन्य
(आपराधिक अपील नं. 2272/2024)

26 अप्रैल 2024

(सी.टी. रविकुमार एवं राजेश बिन्दल*, न्यायमूर्तिगण)

विचारणीय प्रश्न

क्या अभिकथनों के आधार पर प्रथम दृष्ट्या मामला बनाना अभियुक्त को समन करने के लिए पर्याप्त है।

संक्षिप्त भूमिका

क. मजिस्ट्रेट ने अपने आदेश दिनांकित 12.03.19 के द्वारा प्रत्यर्थी के विरुद्ध प्रारंभिक साक्ष्य को अभिलिखित करने और संतुष्ट होने के बाद कि प्रथम दृष्ट्या मामला बन गया था, आदेशिका जारी किया जाना निर्देशित किया- सत्र न्यायालय ने, मजिस्ट्रेट के प्रत्यर्थी क्रमांक 1 के विरुद्ध धारा 420 भा.द.वि. के अन्तर्गत दण्डनीय अपराध के लिए एवं प्रत्यर्थी क्रमांक 2 एवं 3 के विरुद्ध धारा 420 सपठित धारा 120-ख भा.द.वि. के अन्तर्गत दण्डनीय अपराध के लिए संज्ञान लेने के आदेश को अपास्त करने की सीमा तक पुनरीक्षण को स्वीकार किया- अपीलार्थी ने सत्र न्यायालय के आदेश को उच्च न्यायालय के समक्ष चुनौती दी- हाईकोर्ट ने उसे बरकरार रखा- अपीलार्थी ने सत्र न्यायालय के आदेश को बरकरार रखने के लिए पारित उच्च

न्यायालय के आदेश दिनांकित 25.04.2023 के विरुद्ध अपील दायर की-अपील मंजूर की गई। (पदक्रमांक 2,4,5,6 और 16)

ख. अभियुक्त को समन करने के लिए अभिकथनों और समन पूर्व साक्ष्यों के आधार पर प्रथम दृष्टया मामला बनाया जाना चाहिए था।

अभिनिर्धारित: सत्र न्यायालय ने किया कि धारा 420 सपटित धारा 120 ख के अधीन दण्डनीय अपराध नहीं बनता क्योंकि प्रत्यर्थी क्रमांक 1 की पिछली शादी का तथ्य अपीलार्थी को स्पष्टरूप से प्रकट कर दिया गया था सत्र न्यायाधीश इस तथ्य का मूल्यांकन करने में विफल रहे कि उसके बाद कुछ घटनाएँ हुई थीं जैसे कि अपीलकर्ता को तलाक की डिक्री के पारित होने के बारे में अवगत कराना और उसकी जाली प्रति मोबाईल पर दिखाना। विद्वान सेशन न्यायाधीश ने समन के आदेश को इस प्रकार पुनरीक्षण में विचार किया है जैसे कि विचारण के पश्चात दोषसिद्धि या दोषमुक्ति के निष्कर्ष अभिलिखित किए जाने हों। यह समन जारी करने का चरण था। अभियुक्त को समन करने के लिए परिवाद में के अभिकथनों और परिवादी द्वारा प्रस्तुत समन पूर्व साक्ष्यों के आधार पर प्रथम दृष्टया मामला बनना चाहिए।

अधिनियमों की सूची

दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973, भारतीय दण्ड संहिता, 1860, हिन्दू विवाह अधिनियम, 1955।

कुंजी शब्दों की सूची

आदेशिका जारी किया जाना, प्रथम दृष्टया, समन पूर्व साक्ष्य, समन आदेश।

प्रकरण उद्भूत अंतर्गत

आपराधिक अपीलीय क्षेत्राधिकार:- आपराधिक अपील नं. 2272/2024

एम.सी.आर.सी. नं. 11184/2021 में मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय ग्वालियर बेंच द्वारा पारित निर्णय एवं आदेश दिनांकित 25.04.2023 से

पक्षकारों की उपसंज्ञाति

गोपाल शंकरनारायण, वरिष्ठ अधिवक्ता, सुश्री आस्था शर्मा, निपुन सक्सेना, सुश्री अंजू तोमर, सुश्री मंतिका हर्यानी, सुश्री अदिति गुप्ता, सुश्री रिपुल स्वाती कुमारी, अर्चित अदलखा, सुश्री सौम्या सक्सेना, आदित्यराज पाण्डे, अपीलार्थी के अधिवक्ता।

मुकेश कुमार, यशस्वी एस.के.चौकसे, अंकित सिंह, सुशांत सागर प्रत्यर्थियों के लिए अधिवक्तागण।

सर्वोच्च न्यायालय का निर्णय/आदेश

निर्णय

राजेश बिन्दल, जे.

अनुमति प्रदान की गई।

2. परिवादी इस न्यायालय के समक्ष मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय बेंच ग्वालियर द्वारा पारित आदेश दिनांकित 25.04.2023¹ को चुनौती देने के लिए प्रस्तुत है जिसमें चतुर्थ अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश शिवपुरी² द्वारा पारित आदेश दिनांकित 11.01.2021

1 विविध आपराधिक प्रकरण संख्या 11184/2021 में पारित

2 आपराधिक पुनरीक्षण क्रमांक 155/2019

जिसमें विचारण न्यायालय द्वारा पारित समन आदेश दिनांकित 12.03.2019³ को खारिज किया गया था, को जहां तक कि प्रत्यर्थी क्रमांक 1/शर्मिलादास का धारा 420 भा.द.वि. से सम्बन्ध है और प्रत्यर्थी क्रमांक 2/ऊषारानी दास एवं प्रत्यर्थी क्रमांक 3/संगीता के विरुद्ध धारा 420 सपठित धारा 120 बी भा.द.वि. से सम्बन्ध है, अपास्त किया गया था।

3. अभिलेख पर उपलब्ध तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि अपीलार्थी का विवाह प्रत्यर्थी क्रमांक 1 से दिनांक 28.04.2018 को प्रत्यर्थी क्रमांक 2 एवं 3 की उपस्थिति में हुआ था। यह जानकारी प्राप्त होने पर कि जिस तारीख को प्रत्यर्थी संख्या 1 ने अपीलार्थी के साथ विवाह किया था, वह पहले से ही विवाहित थी और उसने तलाक नहीं लिया था, अपीलार्थी ने प्रधान न्यायाधीश, कुटुम्ब न्यायालय, शिवपुरी (उ. प्र.) के समक्ष 1955 के अधिनियम⁵ संख्या 11 के तहत एक याचिका⁴ दायर की जिसमें अपीलार्थी और प्रत्यर्थी संख्या 1 के बीच विवाह को रद्द करने की मांग की गई।

4. तत्पश्चात, अपीलार्थी ने प्रतिवादी संख्या 1,2 और 3 के विरुद्ध परिवाद⁶ दायर किया जिसमें मजिस्ट्रेट ने प्रारंभिक साक्ष्य दर्ज करने के पश्चात और इस बात से संतुष्ट होने के पश्चात कि प्रथम दृष्ट्या मामला बनता है, दिनांक 12.03.2019 के

3. परिवाद प्रकरण क्रमांक 7798/2019

4. प्रकरण क्रमांक आर.सी.एस.एच.एम./34/2019

5. हिन्दू विवाह अधिनियम 1955

6. न्यायालय न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी शिवपुरी अंतर्गत धारा 495, 420, 468,471,506 सपठित धारा 34 भा.द.वि.

आदेश के द्वारा प्रतिवादी संख्या 1 के विरुद्ध धारा 494 और धारा 420 सपटित धारा 120बी भा.द.वि. के तहत दण्डनीय अपराधों के लिए और प्रतिवादी संख्या 2 और 3 के विरुद्ध धारा 420 सपटित धारा 120बी भा.द.वि. के अधीन दण्डनीय अपराधों के लिए आदेशिका जारी करने का निर्देश दिया।

5. उपरोक्त आदेश को अभियुक्तगणों/प्रत्यर्थी क्रमांक 1 से 3 द्वारा चतुर्थ अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, शिवपुरी के समक्ष पुनरीक्षण याचिका⁷ दायर करके चुनौती दी गई थी, जिसे सत्र न्यायालय द्वारा आंशिक रूप से मंजूर किया गया था। मजिस्ट्रेट द्वारा पारित विवादित आदेश दिनांकित 12.03.2019 को प्रतिवादी संख्या 1 के विरुद्ध भारतीय दण्ड संहिता की धारा 420 के अंतर्गत दण्डनीय अपराध तथा प्रतिवादी संख्या 2 और 3 के विरुद्ध भारतीय दण्ड संहिता 120बी के साथ धारा 420 के अंतर दण्डनीय अपराध का संज्ञान लेने की सीमा तक रद्द कर दिया गया था।

6. अपीलकर्ता ने सत्र न्यायालय के आदेश को उच्च न्यायालय में चुनौती दी थी। उसे बरकरार रखा गया। उक्त दो आदेशों के विरुद्ध अपीलकर्ता इस न्यायालय में आया है।

7. अपीलकर्ता के विद्वान वकील ने प्रस्तुत किया कि दोनों पक्ष अर्थात् अपीलकर्ता और प्रतिवादी संख्या 1 वैवाहिक साइट (नाम गुप्त रखा गया) के माध्यम से संपर्क में आए और उसके बाद प्रत्यर्थी संख्या 2 और 3 की उपस्थिति में 09.03.2018 और 10.03.2018 को विशाखापत्तनम में मुलाकातें हुईं। प्रत्यर्थी संख्या 1 पहले से शादीशुदा थीं, जैसा कि उसने वैवाहिक साइट पर भी बताया था। मुलाकात के समय अपीलकर्ता को मोबाईल पर प्रतिवादी 1 के पक्ष में पारित तलाक के आदेश की धुंधली प्रति दिखाई गई। दस्तावेज पर तारीख स्पष्टरूप से नहीं देखी जा सकी क्योंकि आदेश की प्रति स्पष्ट नहीं थी। यह कहा गया कि आदेश न्यायाधीश के हस्ताक्षर के लिए लंबित है। इसके बाद पक्षकारों का विवाह 28.04.2018 को सम्पन्न हुआ। प्रत्यर्थियों

ने बेइमानी से दुर्यपदेशन किया कि वे आर्थिक रूप से सम्पन्न नहीं है और इस तरह उन्होंने अपीलकर्ता को 2 लाख रुपये देने तथा विवाह का पूरा खर्च वहन करने के लिए प्रेरित किया।

7.1 दिनांक 16.06.2018 को जब प्रत्यर्थी संख्या 1 डॉक्टर के पास गई तो पता चला कि वह गर्भवती है। वह गर्भपात करवाना चाहती थी, लेकिन जब अपीलकर्ता ने उससे पूछा तो उसने बताया कि उसने अभी तक उसने पिछली शादी से तलाक नहीं लिया है। उसे मोबाइल फोन पर जो दस्तावेज दिखाए गए थे, वे जाली थे। इससे पता चलता है कि शादी के लिए सहमति बेइमानी से ली गई थी। अपीलकर्ता चकित रह गया। जब उससे पूछा गया तो प्रत्यर्थी संख्या 1 ने उसे झूठे मामले दर्ज करने की धमकी दी, जिससे उसके छवि खराब होने के अलावा सरकारी सेवा से बर्खास्तगी भी हो सकती है।

7.2 चूँकि अपीलकर्ता सदमे में था, इसलिए उसके पास 08.07.2018 को पुलिस में शिकायत दर्ज करने के अलावा कोई विकल्प नहीं बचा था। हालांकि, शिकायत पर कोई कार्यवाही नहीं की गई। इसके बाद, अपीलकर्ता ने 20.07.2018 को मजिस्ट्रेट के समक्ष आपराधिक शिकायत दर्ज कराई।

7.3 अपीलकर्ता द्वारा आपराधिक शिकायत दर्ज कराने के बारे में पता चलने के तुरंत बाद, प्रत्यर्थी संख्या 1 ने 25.07.2018 को कुटुम्ब न्यायालय, पनवेल का रुख किया, जहाँ उसके पहले पति द्वारा 1955 के अधिनियम की धारा 13(1)(i-a) के तहत दायर तलाक याचिका 6 महीने से अधिक समय से लंबित थी। प्रत्यर्थी संख्या 1 ने 1955 के अधिनियम की धारा 13बी के तहत आपसी सहमति से तलाक में परिवर्तन की माँग करते हुए आवेदन दायर किया। आवेदन को मंजूर करने के बाद उसी दिन तलाक दे दिया गया।

7.4 अपीलकर्ता द्वारा दायर शिकायत में उन्होंने दस्तावेजी और मौखिक साक्ष्य दोनों ही पेश किए। अपीलकर्ता द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य के आधार पर, प्रथम दृष्ट्या मामला

स्थापित हुआ। परिणामस्वरूप, मजिस्ट्रेट धारा 494, 420, सपठित 120बी के अधीन मुकदमे का सामना करने के लिए आदेशिका जारी की।

7.5 इससे व्यथित होकर प्रत्यर्थियों ने सत्र न्यायाधीश के समक्ष पुनरीक्षण याचिका दायर की। हालांकि बिना किसी वैध कारण से सत्र न्यायाधीश ने प्रत्यर्थी संख्या 1 के सम्बन्ध में भा.द.वि. की धारा 420 के तहत तथा प्रत्यर्थी संख्या 1 एवं 2 के संबंध में भा.द.वि. की धारा 420 सपठित 120बी के तहत समान आदेश को अपास्त कर दिया तथा प्रत्यर्थी संख्या 1 के विरुद्ध भा.द.वि. की धारा 494 के तहत जारी समन के संदर्भ में ट्रायल कोर्ट के आदेश की पुष्टि की।

7.6 अपीलकर्ता ने उच्च न्यायालय के समक्ष उक्त आदेश को चुनौती दी, जिसमें यह तर्क दिया गया कि न्यायालय ने मामले के तथ्यों को मूल्यांकन किए बिना पुनरीक्षण याचिका को खारिज कर दिया, जो कि स्वयं स्पष्ट है। विवादित आदेश को अपास्त किया जाना चाहिए क्योंकि प्रथम दृष्ट्या मामला यह दर्शाता है कि अपीलार्थी को प्रत्यर्थी संख्या 1, 2 एवं 3 द्वारा पूर्ववर्ती विवाह से तलाक का जाली आदेश दिखाकर यह जानते हुए भी कि यह अपीलार्थी से विवाह की तारीख को विघटित नहीं हुआ है, यह विश्वास करने के लिए बेईमानी पूर्वक उत्प्रेरित किया गया था कि प्रत्यर्थी क्रमांक 1 ने तलाक प्राप्त कर लिया है और तद्वारा उसे बेईमानीपूर्वक उत्प्रेरित किया गया था कि वह प्रत्यर्थी क्रमांक 1 से विवाह करे। प्रत्यर्थी इस कारण से धारा 420 सपठित धारा 120बी भा.द.वि. के अधीन विचारण का सामना करने के लिए दायी हैं कि उन सभी ने अपीलार्थी को प्रत्यर्थी क्रमांक 1 से विवाह करने एवं एक बड़ी रकम लेकर अलग होने के लिए बेईमानीपूर्वक उत्प्रेरित करने के लिए एक-दूसरे के साथ षड्यंत्र किया।

8. दूसरी ओर प्रत्यर्थियों के विद्वान वकील ने दलील दी कि मजिस्ट्रेट के समक्ष प्रस्तुत तथ्यों और सामग्री के आधार पर, धारा 420 भा.द.वि. के तहत कोई अपराध नहीं बनता है इसे आपराधिक षड्यंत्र का मामला नहीं कहा जा सकता है और

प्रत्यर्थियों के विरुद्ध छल का कोई भी मामला नहीं बनता है। सत्र न्यायालय या उच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश में कोई त्रुटि नहीं है। प्रत्यर्थियों के कहने पर कोई भी छिपाव या छल नहीं हुआ है क्योंकि उन्होंने शुरुआत में ही अपीलार्थी को स्पष्ट रूप से सभी तथ्य प्रकट कर दिये थे। अपील खारिज किए जाने योग्य है।

9. उभयपक्षों के विद्वान अधिवक्तागणों को सुना गया एवं संदर्भित अभिलेख का अवलोकन किया गया।

10. अपीलार्थी एवं प्रत्यर्थी क्रमांक 1 एक वैवाहिक साइट के माध्यम से संपर्क में आए थे। अपीलार्थी पहले से ही तलाकशुदा था जबकि प्रत्यर्थी क्रमांक 1 ने अपना स्टेट्स अपलोड किया था कि “तलाक की प्रक्रिया विचाराधीन है”। प्रारंभिक बात-चीत के बाद, अपीलकर्ता को उसके परिवार के सदस्यों के साथ विशाखापत्तनम आने के लिए आमंत्रित किया गया, जहां उन्होंने प्रतिवादियों से बात-चीत की मुलाकात के समय अपीलकर्ता को बताया गया कि प्रत्यर्थी क्रमांक 1 की पहले ही मुंबई में शादी हो चुकी है और तलाक पहले ही हो चुका है। तलाक के आदेश के प्रति के बारे में पूछे जाने पर बताया गया कि वह संबंधित न्यायाधीश के हस्ताक्षर के लिए लंबित है और नियत समय में प्रदान की जाएगी। प्रत्यर्थियों ने अपीलार्थियों को तलाक के आदेश की एक अस्पष्ट फोटोकॉपी दिखाई थी जिसे सच माना गया था। 11.03.2018 को अपीलार्थी ने शादी के लिए अपनी सहमति दी। तारीख 28.04.2018 तय की गई। प्रत्यर्थियों ने बताया कि उनकी आर्थिक स्थिति इतनी अच्छी नहीं है कि वे अपने अन्य रिश्तेदारों के साथ शादी के लिए ग्वालियर आ सकें। परिणामस्वरूप अपीलकर्ता ने प्रत्यर्थियों और उनके रिश्तेदारों के लिए विशाखापत्तनम से ग्वालियर और ग्वालियर से विशाखापत्तनम के लिए टिकट बुक किए और प्रत्यर्थियों को शादी के खर्च के रूप में दो लाख रुपये नकद भी दिए।

11. 16.06.2018 को कुछ चिकित्सीय जटिलता के कारण, अपीलार्थी और साथ ही प्रत्यर्थी क्रमांक 1 शिवपुरी (मध्यप्रदेश), जहाँ दंपत्ति अपनी शादी के बाद से रह रहे थे

,में एक महिला डॉक्टर के क्लिनिक पहुँचे। डॉक्टर ने खुलासा किया कि प्रत्यर्थी क्रमांक 1 गर्भवती थी। अपीलार्थी के खुशी की कोई सीमा नहीं थी, जबकि प्रत्यर्थी क्रमांक 1 बहुत दुखी थी। यह संदेश अपीलार्थी एवं प्रत्यर्थी क्रमांक 1 के परिजनो को भी दिया गया। प्रत्यर्थी क्रमांक 2 एवं 3 खुश नहीं थे। ऐसी प्रतिक्रिया से अपीलार्थी चकित था बाद में जब अपीलार्थी द्वारा प्रत्यर्थी क्रमांक 1 से जब कारण पूछा गया तो उसे बताया गया कि उसे अपने पिछले पति से अभी तक तलाक नहीं मिला है। यह अपीलार्थी के लिए जीवन का एक झटका था। यह तलाक की फर्जी डिक्री दिखाकर छल करने के अलावा कुछ भी नहीं था। केवल यही कारण था कि प्रत्यर्थी क्रमांक 1 गर्भपात कराना चाहती थी। अपीलार्थी ने छला हुआ महसूस किया। जब उसने कहा कि वह प्रत्यर्थियों के विरुद्ध कार्यवाही करेंगे, तो उसे वैवाहिक अपराधों के विभिन्न आपराधिक मामलों में फंसाने की धमकी दी गई जिसके बारे में उन्होंने दावा किया कि वे मामले दर्ज भी करा चुके हैं।

12. अपीलकर्ता द्वारा दिनांक 07.07.2018 को शिवपुरी, मध्यप्रदेश के पुलिस अधीक्षक को तथा दिनांक 08.07.2018 को थाना प्रभारी फिजिकल शिवपुरी को लिखित शिकायत दर्ज कराई गई थी। हालांकि, कोई कार्यवाही नहीं की गई। इसके बाद दिनांक 20.07.2018 को मजिस्ट्रेट को समक्ष न्यायालय में परिवाद दर्ज कराया गया। विचारण न्यायालय ने प्रारंभिक साक्ष्यों को अभिलिखित करने के बाद प्रत्यर्थी क्रमांक 1 को धारा 494 एवं 420 सपटित 120बी भा.द.वि. के तहत विचारण का सामना करने के लिए व प्रत्यर्थी क्रमांक 2 एवं 3 को धारा 420 सपटित धारा 120बी भा.द.वि. के अधीन विचारण का सामना करने के लिए समन किया ।

12.1 उपरोक्त आदेश को प्रत्यर्थियों द्वारा अतिरिक्त सत्र न्यायालय के समक्ष चुनौती दिया गया। सत्र न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया कि धारा 420 सपटित धारा 120बी भा.द.वि. के अधीन कोई मामला नहीं बनता क्योंकि प्रत्यर्थी क्रमांक 1 की पहली शादी के तथ्य को अपीलार्थी को स्पष्टतया प्रकट कर दिया गया था। सत्र न्यायाधीश इस

तथ्य का मूल्यांकन करने में असफल रहे हैं कि कुछ घटनाएं उसके बाद घटित हुई हैं जैसे कि अपीलार्थी को इस बात से अवगत कराना कि तलाक की डिक्री पारित की जा चुकी है और उसकी कूटरचित प्रति उसे मोबाइल पर दिखाना। विद्वान सत्र न्यायालय ने समन आदेश के विरुद्ध पुनरीक्षण को इस प्रकार विचार में लिया जैसे विचारण के पश्चात दोषसिद्धि या दोषमुक्ति के निष्कर्ष अभिलिखित किए जा रहे हों। यह समन करने का प्रारंभिक चरण था। अभियुक्त को समन करने के लिए परिवादी के अभिकथनों एवं परिवादी द्वारा प्रस्तुत साक्ष्यों के आधार पर प्रथम दृष्ट्या मामला बनना चाहिए।

13. उपरोक्त आदेश को निरस्त करने के लिए याचिका में अपीलार्थी द्वारा चुनौती दिए जाने पर, उच्च न्यायालय ने बिना किसी कारण कारण को अभिलिखित किए याचिका को खारिज कर दिया।

14. अभिलेख पर मौजूद सामग्री पर विचार करने पर, हमारी राय में अभियुक्तगणों यानी प्रत्यर्थी क्रमांक 1,2 एवं 3 के विरुद्ध धारा 420 सपठित धारा 120बी भा.द.वि. के अन्तर्गत जारी समन आदेश को अपास्त करने में विद्वान सत्र न्यायालय एवं उच्च न्यायालय का दृष्टिकोण विधिकरूप से धारणीय नहीं है।

15. [परिवाद में अभिवचनित तथ्यों और अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत साक्ष्यों से उपरोक्त उल्लेखित आधारों पर, प्रत्यर्थियों के विरुद्ध, धारा 420 सपठित धारा 120बी, भा.द.वि. के अन्तर्गत दण्डनीय अपराध के लिए विचारण का सामना करने हेतु आदेशिका को जारी करने के लिए प्रथम दृष्ट्या मामला बन गया था, जिसके लिए उन्हें समनित किया गया था।

16. अपील तदनुसार मंजूर की जाती है। उच्च न्यायालय और सत्र न्यायालय द्वारा पारित विवादित आदेश अपास्त किए जाते हैं और मजिस्ट्रेट द्वारा आदेश को पुनर्स्थापित किया जाता है। यह स्पष्ट किया जाता है कि ऊपर कथित किसी भी बात को विवाद

के गुणावगुण पर अंतिम राय नहीं समझी जाएगी। विचारण न्यायालय, पक्षकारों द्वारा प्रस्तुत साक्ष्यों के आधार पर मामले को उसके गुणावगुण पर निर्णीत करेगा।

मामले का परिणाम: अपील मंजूर की गई

***आदित्य जैन द्वारा अनुवाद

